Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 12-05-2006
Participants : Jatiya Dr. Satyanarayan,Kumar Shri Shailendra,Rawat Prof. Rasa Singh,Rathod Shri Harisingh Nasaru,Ahmad Dr. Shakeel,Ahir Shri Hansraj Gangaram,Shiwankar Shri Maha Deo Rao,Chandrappan Shri C.K.,Gangwar Shri Santosh Kumar

an>

Title : Discussion on the points arisen out of the answer given by the Minister of Communication and Information Technology on 10.03.2006 to Starred Question No. 284 regarding closure of Post Offices.

MADAM CHAIRMAN: Now, we will take up Half-an-Hour Discussion. Shri Hansraj G. Ahir has to raise a discussion on the points arising out of the answer given by the Minister of Communication and Information Technology on 10.03.2006 to Starred Question No.284 regarding Closure of Post Offices.

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) सभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से आधे घंटे की चर्चा उपस्थित करता हूं। जब मैंने दिनांक 10 मार्च, 2006 को तारांकित प्रश्न पूछा था, तो माननीय संचार मंत्री जी ने उसके उत्तर में कहा था कि किसी भी संचार केन्द्र को बंद नहीं किया गया है तथा किसी संचार एजेंट को बरखास्त नहीं किया गया है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र चन्द्रपुर में तकरीबन 30 पंचायत संचार केन्द्रों को बंद करने तथा उतने ही संचार एजेंटों को बरखास्त करने की बात कही थी। मेरे पास अधिकारियों द्वारा दी गई लिस्ट उपलब्ध है। मंत्री जी ने कहा था ऐसे कोई संचार केन्द्र बंद नहीं किए गए हैं जिनकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों को नुकसान पहुंचे या सेवा में व्यवधान निर्माण हो। साथ ही यह भी कहा गया था कि संचार मंत्रालय ऐसे किसी केन्द्र को भी बंद नहीं करने जा रही है जो घाटे में चल रहे हैं। संचार मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की जनता, आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में डाक सेवा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी को सामाजिक उत्तरदायित्व समझकर निभाना मैं सरकार की जिम्मेदारी समझता हूं। इसी को मान्य करते हुए मंत्री जी कहते हैं कि हम घाटे में चल रहे संचार केन्द्र बंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे अधिकारियों द्वारा जो जवाब मिला है, उसमें स्पट लिखा हुआ है कि घाटे में चल रहे 30 केन्द्र बंद किए गए हैं।

17.32 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों को संचार सेवा, डाक सेवा देना जरूरी है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मनीआर्डर, टेलीग्राम आदि उपलब्ध करवाने के साथ ही जिन ग्रामीण संचार केन्द्रों में एजेंट काम कर रहे हैं, उन्हें रोजगार से वंचित करना और यह कहना कि हमने किसी संचार केन्द्र को बंद नहीं किया है, किसी एजेंट को बरखास्त नहीं किया है, लेकिन कई संचार केन्द्रों को मर्ज किया है। मर्ज करने का अर्थ क्या होता है? मर्ज करने का अर्थ होता है कि एक केन्द्र को बंद करके दूसरे में कर देना। इसकी वजह से जो गांव उस संचार केन्द्र से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें दूसरे गांवों में जाने का अंतर बढ़ता है। इसका मतलब है कि हम सेवा देने में कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्रों पर अन्याय कर रहे हैं, लोगों को सेवा उपलब्ध करवाने के बीच अंतर बढ़ा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में जितनी आसानी से संचार सेवा, डाक सेवा उपलब्ध होती है, उतनी आसानी से ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होती। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस कार्यकाल में जो भी संचार केन्द्र बंद किए गए हैं, जो घाटे में भी चल रहे थे, आपने घाटे में चलने वाले केन्द्रों को भी बंद नहीं करने के बारे में कहा है, मैं मानता हूं कि अगर कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है, ऐसे केन्द्रों को कोर्ट के आदेशानुसार बंद करने पर मुझे या किसी को कोई ऑब्जैक्शन नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे क्षेत्र के 30 केन्द्र बंद किए गए हैं, इसी तरह पूरे देश में हजारों की तादाद में कई केन्द्र बहाना बनाकर बंद किए गए हैं। उन सभी की पुनः बहाली करें। जिन एजेंटों को आपने काम से हटाया है, उनकी आप फिर से काम में पुनः बहाली करें। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इस काम को अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाएं। जैसा मैंने पहले कहा कि जो केन्द्र बंद किये गये हैं, उनकी सूची मेरे पास है। मैं वह सूची आपको उपलब्ध करा दूंगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपने पिछली बार जो जवाब दिया था, वह सही नहीं था। अब मै आपसे सही जवाब की अपेक्षा करता हूं।

MR. CHAIRMAN : Only one clarificatory question can be asked as per the rules.

… (*Interruptions*)

श्री संतोा गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, हमारे मित्र श्री अहीर जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विाय उठाया है। माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि "Department has a social obligation in extending its services. " इसलिए डेफीसिट भी है। लगातार तीन सालों के डेफीसिट का उन्होंने जिक्र भी किया है। वर्ा 2001-02, 2002-03 और 2003-04 में 1400 करोड़ रुपये, 1364 करोड़ रुपये और 1375

करोड़ रुपये का डेफीसिट दिखाया गया है। यह सोशल आब्लीगेशन है। मुझे लगता है कि सोशल आब्लीगेशन को ध्यान में रखते हुए आप डाक सेवा को बहाल नहीं करना चाहते ताकि डेफीसिट और न बढ़ जाये। आज देश की आबादी बढ़ रही है। हम कुरियर सेवाएं लेकर आये। आज कुरियर सेवाएं जबरदस्त व्यापार कर रही हैं। इसमें लाखों लोग काम कर रहे हैं। आज सरकार ने एक फैसला किया है कि छोटी कुरियर सेवाओं को बंद किया जायेगा। आप इससे लाखों लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। आपकी बात हमारी समझ में आती है। आप नये डाकखाने नहीं खोले रहे लेकिन शहरी क्षेत्रों में जहां पुराने डाकघर हैं वहां हर आदमी उसे खाली कराना चाहता है। इसके लिए वह न्यायालय में जाता है, हम लोगों से सम्पर्क करता है, पत्र लिखता है, आदि सारे काम करता है। आज आबादी जरूर बढ़ रही है लेकिन शहरी क्षेत्रों में नये डाकघर नहीं खुल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो डाकघर हैं वहां काम करने की सुविधाएं नहीं हैं। जब तक आप डाक विभाग को नया स्वरूप नहीं देंगे, डाक विभाग की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपको लगता है कि मोबाइल टेलीफोन आ गये हैं इसलिए डाकघरों की महत्ता खत्म हो गयी है, तो आपका यह सोचना शायद गलत है। जिस देश में छः लाख गांव हैं, वहां आज भी लोग डाक के महत्व को समझते हैं। वे पोस्ट कार्ड और लिफाफे की बात को अपने साथ लेना चाहते हैं।

मेरा आपसे आग्रह है कि समस्या हमारी समझ में आती है। आपके पास क्या ऐसा कोई एक्शन प्लान है ? अब शहरी क्षेत्र हो या देहाती क्षेत्र हो, वहां आप डाक सुविधाओं में सुधार करें। दुनिया के दूसरे देशों में डाकिया एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। उसकी एक अच्छी पहचान होती है। हमारे देश में भी आप इसमें बदलाव करें।

मेरा आपसे आग्रह है कि आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे कोई डाकघर बंद न हो। जहां डाकघर की आवश्यकता हो वहां पर कायदे से डाकघर खोला जाये। हम आपसे यह नहीं कह रहे कि आपने डाकघर बंद किये हैं। न्यायालय ने आदेश दिया इसलिए वे डाकघर बंद कर दिये गये। ग्रामीण क्षेत्रों में ईडीई वगैरह जो लोग हैं, वे काम करने के तरीके को अच्छी तरह से समझते हैं। आज शहरी क्षेत्र बहुत बढ़ रहे हैं। आप शहरी क्षेत्रों के किसी भी डाकघर का मुआयना कर लीजिए। वहां न बिजली है, न पंखा है और न ही कुछ और सामान है। मैं मंत्री जी से मुख्य सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कैसे इस व्यवस्था में सुधार करेंगे, किस प्रकार से इसमें व्यापक संशोधन, परिवर्तन करेंगे ? हम चाहेंगे कि मंत्री जी इस पर ध्यान दें।

MR. CHAIRMAN: Shri Shailendra Kumar, you can only ask one question.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति महोदय, आधे घंटे की चर्चा में आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं माननीय संचार राज्य मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आजादी के समय इस देश में 23 हजार डाकघर थे। मेरे ख्याल से आज 1 लाख 55 या 65 हजार के करीब डाकघर हैं। बढ़ती हुई आबादी को देखा जाये, तो जैसा गंगवार जी ने कहा, वह सत्य है। माननीय अहीर जी ने भी कहा कि 45 डाकघर बंद हुए हैं। उनके पास इसकी औथेंटिक जानकारी है। वह उन डाकघरों की सूची भी देने के लिए तैयार हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इन डाकघरों को कुरियर सेवा, एसएमएस या मोबाइल सेवाएं प्रभावित कर रही हैं ? दूसरी बात यह है कि सरकार अपनी कार्य योजना बनाने जा रही है कि छोटी कुरियर सेवाओं को बंद करेंगे। मेरे ख्याल से जिस प्रकार से आपने जगह-जगह पीसीओ खोले हैं, उसी प्रकार से छोटी कुरियर से वाओं से फीस लेकर आप उनका रजिस्ट्रेशन करें और उनकी सेवाओं की बहाली करें ताकि आम लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। तीसरी बात यह है कि आज भी ग्रामीण इलाके चाहे ट्राइबल या हिल एरियाज हों, वहां आज भी डाकघर एक सहारा है। आपने यह योजना रखी है कि राट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में पोस्ट ऑफिस के जरिए ही भुगतान होगा। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको नगद भुगतान किया जाएगा, उसकी भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। यह बात सत्य है कि विभिन्न कार्यों जैसे छात्रवृत्ति, पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना आदि के भुगतान की व्यवस्था डाकघर के माध्यम से किया जाए तो अच्छा होगा।

MR. CHAIRMAN : Please conclude. You are not allowed to make a speech.

श्री शैलेन्द्र कुमार : दूसरी बात यह है कि आपने तारघरों की प्रसार संख्या बढ़ाई है और 1.5 लाख डाकघरों के आधुनिकीकरण के लिए 260 करोड़ रूपए की व्यवस्था की है। इसके कम्प्युटरीकरण के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में कई अन्य साधन जैसे टेलीफोन, मोबाइल, एसएमएस आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर ही महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए ग्रामीण इलाकों में और खासकर पर्वतीय, वन क्षेत्रों और ट्राइबल एरियाज में यह सुविधा सही तरीके से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। धन्यवाद।

डॉ. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आम लोगों की सुविधा से जुड़ा हुआ है। जैसा कि कहा गया है कि पोस्ट ऑफिसेज को बन्द नहीं किया जा रहा है किन्तु महीतपुर नगर में जो पोस्ट ऑफिस है, उसे बदल कर समीप के पोस्ट ऑफिस में मर्ज किया जा रहा है। यह कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिसका उपयोग नहीं होता है, हर आदमी द्वारा इसका उपयोग हो रहा है। गांवों और गरीबों के लिए पोस्ट कार्ड बहुत जरूरी है। कूरियर आदि सेवाएं विशेाकर शहरों तक सीमित हैं और उनके चार्जेज इतने अधिक हैं कि गरीब आदमी के लिए पोस्ट कार्ड और

अन्तर्देशीय पत्र आदि सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं। महीतपुर नगर में जो पोस्ट ऑफिस है उसे तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है, मेरा अनुरोध है कि उसे हमेशा के लिए कायम किया जाए। इसी प्रकार से उज्जैन नगर के म्युनिसिपैलिटी एरिया में जो पोस्ट ऑफिस है, उसे स्थायी किया जाए। इस तरह आल्होट, ताल, बड़ावदा, उज्जैन, महीतपुर नगर, बड़नगर, खचरोद, तराना, नागदा, उन्हैल, घटिया आदि सभी स्थानों पर इस सुविधा को करना चाहिए। इसी तरह जो लोग इस विभाग की सेवा में लगे हुए हैं, जिनको ईडी अर्थात एक्स्ट्रा-डिपार्टमेंटल कर्मचारी के रूप में रखा जाता है, जो वर्षों से इस प्रकार की सेवा करते चले जा रहे हैं, उनको इस काम के लिए जो रिम्युनरेशन दिया जाता है, उसमें सुधार करना चाहिए। जो लोग सर्दी, गर्मी, बरसात में यह काम करते हैं, उनके लिए काम करने के बेहतर साधन और सुविधाएं दी जानी चाहिए।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जो सेवाएं अभी जारी हैं, उनको यथावत रखते हुए, पिछले एक-दो साल में बन्द कर दी गयी सेवाओं को पुनः चालू करने का काम करें। डाकघरों के लिए नए भवन, बिजली आदि देकर पोस्टल सर्विसेज में सुधार करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है, मैं यह जानना चाहता हूँ। धन्यवाद।

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Sir, I just want to put a question to the hon. Minister. In the name of merger, the existing post offices are closed. There is a similar problem in Chavakkad area in Trichur district. The problem has been brought to the notice of the Ministry through mass deputations and so many other things but no reasonable reply has been given. I would request the hon. Minister to please look into it and to reopen the post office which was existing there for decades and which has been closed now. Thank you.

MR. CHAIRMAN : Only four Members are allowed to put questions. But as a matter of concession I am allowing you. Prof. Rasa Singh Rawat to speak now.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि नए डाकघर खोलना तो दूर रहा, जो डाकघर कई वर्षों में जनप्रतिनिधियों और जनता की मांग पर स्थापित किए गए थे, उनको बन्द करना कहां तक उचित है? कम से कम हम लोगों को तो इसके लिए विश्वास में लिया जाना चाहिए था। मेरे अजमेर जिले में पांच-सात डाकघरों को मर्जर के नाम पर बन्द कर दिया गया है और कुछ को समीप के डाकघरों में मिला दिया गया है। जब जनता बार-बार पूछती है कि यह केन्द्रीय सरकार का विाय है, आप एमपी हैं, आपने डाकघर बन्द करवा दिए तो हमारी स्थिति बहुत हास्यास्पद हो जाती है। पहले कुछ नॉर्म्स के आधार पर ही डाकघर स्थापित किए गए थे और वे 25-30 सालों से सेवाएं दे रहे हैं। पेंशन खाता, बचत खाता, स्कूलों के खाते आदि सभी इन डाकघरों में चलते थे, लेकिन एकदम से उनका पैसा रोककर यह अव्यवस्था पैदा कर दी गयी है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जैसे दूरसंचार सेवाओं के घाटे में होने के बाद भी, ग्रामीण क्षेत्रों में यूएसओ के माध्यम से फण्ड दिलवाकर राट्रीय सेवा मानकर चालू कराया जा रहा है। क्या डाकघरों को भी यूएसओ के फंड से मदद करके उन्हें चालू रखने तथा उन्हें जीवन प्रदान करने की कोई योजना क्रियान्वित की जा रही है?

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मेरे पास डाक अधीक्षक, चन्द्रपुर का 25.3.2005 का एक पत्र है, जिसमें डाक विभाग द्वारा 13.12.2004 के पत्र के हवाले से बताया गया है कि 30 सेवा केन्द्रों को बंद किया जा रहा है। अभी आपको हंसराज अहीर जी ने भी इस बात का जिक्र किया था, मैं आपको इन 30 सेवा केन्द्रों की लिस्ट सौंपता हूं। इनमें नागबीड में एनोबली, चिमूर में कोलारी और शिंदेवाड़ी में अम्बाली डाक घर प्रमुख हैं। इन 30 सेवा केन्द्रों को बंद कर दिया गया है। क्या मंत्री जी इन्हें दोबारा शुरू कराएंगे और क्या आप आज ही उनके सम्बन्ध में आदेश जारी करेंगे? मैं यह लिस्ट आपको भेज रहा हूं।

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : ग्रामीण क्षेत्रों में दस-दस गांवों पर एक ही डाकिया होता है। ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में आज डाक विभाग एक प्रभावशाली और विश्वास का प्रतीक लोगों के लिए बन गया है। ऐसी स्थिति में डाक घर बढ़ाने चाहिए, लेकिन सरकार उन्हें बंद करने जा रही है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह कहां तक उचित है? सरकार के पास पोस्ट ऑफिसेस के माध्यम से इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इतना बड़ा सोर्स है और इतने इम्प्लाइज हैं, तो क्यों नहीं इसे भी प्राइवेट संस्थाओं की तरह चलाया जाता है, जिससे लोगों को सुविधा मिल सके इसलिए क्या आप डाक घरों का आधुनिकीकरण करने पर और नई प्रणाली लागू करने पर विचार करेंगे?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शकील अहमद) : सभापति जी, मैं अध्यक्ष महोदय का आभारी हूं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विाय पर आधे घंटे की चर्चा के लिए अनुमति प्रदान की। मैं माननीय सदस्य श्री हंसराज अहीर का भी आभारी हूं, जिन्होंने इस विाय पर नोटिस दिया। इसके माध्यम से हम देश भर में डाक विभाग की वस्तुस्थिति, उसकी जो योजना है, उससे सदन को और सदन के माध्यम से देश की जनता को अवगत कराना चाहते हैं।

सभापति महोदय, भारतीय डाक का नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। इस देश में पोस्ट ऑफिसेस की संख्या 1,55,000 से अधिक है। हमारे देश में सबसे पहले डाक सेवा शेरशाह सूरी के समय में शुरू हुई थी, मगर 1854 में 701 डाक घरों के साथ डाक विभाग की स्थापना हुई थी। आजादी के समय यह संख्या बढ़कर 23,000 हो गई और आज इनकी संख्या 1,55,000 से अधिक है। हम केवल दुनिया में इतनी बड़ी संख्या वाले पोस्टल नेटवर्क ही नहीं हैं, बल्कि लोगों को सेवा प्रदान करने में भी हम दूसरे देशों से कहीं आगे हैं। जब मैं इस चीज की तुलना करता हूं तो मैं तमाम देशों की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन दो देशों अमेरिका और चाइना का उल्लेख करना चाहूंगा। इन दो देशों में भी पोस्टल नेटवर्क काफी फैला हुआ है। चाइना हमसे क्षेत्रफल में और आबादी में बड़ा है, मगर वहां डाक घरों की संख्या 1,12,000 के आसपास है। अमेरिका में भी पोस्टल सिस्टम काफी फैला हुआ है और वहां करीब 38,000 डाक घर हैं। केवल यही नहीं, भारत में औसतन एक डाक घर से 6600 लोगों को सर्विस दी जाती है। जबकि चाइना में एक पोस्ट-ऑफिस 11100 के लगभग लोगों की सेवा करता है, अमरीका में यह संख्या 7000 के लगभग है। जहां तक क्षेत्रफल का सवाल है तो भारत में हम एक पोस्ट-ऑफिस से 21 स्क्वायर किलोमीटर को सर्व करते हैं जबकि चाइना में लगभग 85 स्क्वायर किलोमीटर और अमरीका में लगभग 245 स्क्वायर किलोमीटर को सर्व किया जाता है। इस हिसाब से भी भारत का स्टैंडर्ड आदमी के हिसाब से, दूरी के हिसाब से और एरिया के हिसाब से आज की तारीख में श्रेठ है। प्रश्न की कॉपी मेरे पास है और माननीय अहीर जी ने सबसे पहले इसकी चर्चा की थी। पोस्ट-ऑफिस और पीएसएसके. के बारे में भ्रम बना हुआ है। पोस्ट-ऑफिस और पीएसएस केन्द्र अलग होता है। पीएसएसके. में एक एग्रीमेंट होता है। कोई भी पोस्ट-ऑफिस बंद नहीं किया गया है, पीएसएस बंद किये गये हैं। ...(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत : मेरे ही क्षेत्र में चार-पांच पोस्ट-ऑफिस बंद किये गये हैं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please listen to the reply of the hon. Minister.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, all your queries are being answered by the hon. Minister.

डॉ. शकील अहमद : कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिये। जो पीएसएसके. के हैं उनमें एग्रीमेंट होता है। पंचायत और विभाग के बीच एग्रीमेंट होता है कि इसमें पोस्ट-ऑफिस होगा। जो भी पीएसएसके. बंद किये गये हैं उनमें ट्रांजैक्शन निल हुआ है। पंचायत ने एग्रीमेंट कर लिया और अपने किसी काम करने वाले आदमी को वहां बैठा दिया। उसको करीब 600 रुपया मिलता है। पोस्ट-ऑफिस वहां है, काम हो रहा है लेकिन जो भी पीएमएसके. बंद किये गये हैं उनमें ट्रांजैक्शन निल हुआ है और उसके बाद ही वह बंद हुए हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वह हम करेंगे।

सभापति महोदय, हमारा विभाग चाहता है कि हम और फैलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए काम करें जोकि हमारा सामाजिक दायित्व भी है। लेकिन कुछ बातें बताना आवश्यक है। जब हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना वर्ा 2002 के आसपास बन रही थी तो एनडीए की सरकार थी। उस समय जो योजना बनी और प्लानिंग कमीशन के सहयोग से बनी तो उस समय माननीय जटिया जी मंत्री थे, माननीय गंगवार साहब भी मंत्री थे। जो फैसला किया गया वह मैं उसे पढ़ देता हूं। " पोस्ट-ऑफिसेज नये नहीं खोले जाएंगे, पोस्ट-ऑफिसेज बंद कर दिये जाएंगे"। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एनडीए की सरकार में इस पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में तो टार्गेट दिये गये लेकिन अंतिम तीन वर्षों में एनडीए की सरकार ने नये पोस्ट-ऑफिसेज खोलने का कोई टार्गेट फिक्स नहीं किया। साथ ही साथ कहा कि मर्ज भी कीजिए, क्लोजर भी कीजिए, रिलोकेट भी कीजिए। हमारे देश में कुरियर सर्वेज हैं और वे वहीं जाएंगी जहां बिजनैस चलता है लेकिन हम रिमोट एरियाज में भी जाना चाहते हैं और आम आदमी को सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं। मैं टेलीकॉम का भी मंत्री हूं और आईटी का भी मंत्री हूं। परन्तु आज भी देश के 70 फीसदी लोग हमारी डाक-सेवा पर निर्भर करते हैं। हम उन्हें डाक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध हैं। हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि हमारी सेवाएं अच्छी हों। लेकिन कुछ समय पहले डाक विभाग की मेल सेवा में कमी आयी है। लेकिन हमारा दूसरी चीजों में व्यापार बढ़ा है। स्पीडपोस्ट में हमने उन्नति की है। पीएलआयी, आरपीएलआयी में हमने उन्नति की है। हमारा रेवेन्यू निश्चित रूप से बढ़ा है। यह सही है कि एलाउंसिज़ बढ़े हैं। डीए बढ़ा है, तनख्वाहें बढ़ी हैं। पेंशन के लिए हमें 1100 करोड़ रूपये अलग से देना पड़ा है, इसके बावजूद भी हमने रेवेन्यू जनरेशन में उन्नति की है। पिछले तीन सालों का आंकड़ा मांगा गया है, इन तीन सालों में देश के रेवेन्यू में उन्नति हुई है। हम चाहते हैं कि पोस्ट आफिसज़ मल्टी एक्टिविटीज़ का हब बनें और बहुत से कार्य पोस्टआफिसिज़ के द्वारा हों, जिससे पोस्टआफिसीज़ की आमदनी बढ़े। निश्चित रूप से हमारे माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया है, जैसे श्री संतोा गंगवार जी ने कुरियर सर्विसिज़ की चर्चा की है। हम कुरियर सर्विसिज़ के खिलाफ नहीं हैं। हमारे देश के लोग भी छोटे-छोटे कुरियर सर्विसिज़ खोले हुए हैं। अभी जो प्रपोस्ड बिल है, उसमें कुरियर को कुछ छूट देना चाहते हैं। हमारा जो पोस्टल एक्ट है, वह वर्ा 1898 का है। यह एक्ट 108 साल पुराना है। बहुत सी बातें इर्रेलेवेंट हो गयी हैं। आज इस देश के कानून के मुताबिक कुरियर सर्विसिज़ को एक छटांक या एक क्विंटल का पत्र ले जाने की अनुमति नहीं है। बहुत से लोग पत्रों पर प्रतिबन्ध को दूर करने के लिए पार्सल या पैकेट बना लेते हैं, क्योंकि पार्सल या पैकेट पर प्रतिबन्ध नहीं है। सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं। हम कुरियर सर्विसिज़ को भी मौका देना चाहते हैं। अन्तरराट्रीय स्तर के बहुत

से लोग हैं, लेकिन हमारे देश के भी लोग इस उद्योग में फलफूल रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हम कुरियर सर्विसिज़ के खिलाफ नहीं हैं। वे हमारे देश के ही लोग हैं। लेकिन जो कुरियर सर्विसिज़ हैं, वह वहीं रहेगी, जहां उसे फायदा होगा। माननीय सदस्य चाहे इस पक्ष के हों या दूसरे पक्ष के हों, वे जानते हैं कि हमारे पास रोज़ आवेदन आते हैं, लोगों की मांगें आती हैं कि नये पोस्ट आफिसिज़ खोले जाने चाहिए। श्री शैलेन्द्र कुमार जी ने आरएलईजीपी की चर्चा की है। ऐसा कुछ जिलों में हुआ है कि पोस्ट आफिसिज़ के द्वारा भुगतान किया जाएगा। जिससे बिचौलियों से राहत मिलेगी। जो मजदूर काम करेंगे, उनके एकांउट्स में पैसा सीधा ट्रांसफर हो जाएगा। यदि कुछ जगहों पर सफलता मिली तो हम और जिलों में भी काम करेंगे। हमारे जटिया साहब ने मणिपुर और उज्जैन के डाकघरों की बात की है। निश्चित रूप से हम अपने विभाग के पदाधिकारियों से कहेंगे कि इस पर विचार करें कि क्या किया जा सकता है। हम यह बताने का प्रयास करेंगे कि इस बारे में क्या हो सकता है। 1,55,000 डाकघर हैं, इसलिए एक-एक के बारे में उत्तर देना संभव नहीं है।

In regard to the point made by Shri C.K. Chandrappan's about Trichur, I will ask my officials to look into the matter, and I will respond to him in the near future.

जहां तक रासा सिंह रावत जी ने यूएसओ फंड के बारे में कहा है। निश्चित रूप से आपकी चिंता सही है। हमारा जो प्रपोस्ड बिल है, उसमें हमने कोशिश की है कि जैसे टेलीकोम में यूएसओ फंड है, उसी तरह का फंड पोस्टल विभाग में भी हो ताकि ऐसे इलाके जो इकॉनामिकली वायबल नहीं हैं, वहां डाक की सुविधा को सहारा उपलब्ध कराया जा सके।

प्रो. रासा सिंह रावत : पांच-सात डाकघर बंद किए गए हैं।

डॉ. शकील अहमद : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि शायद उन्हें इस बारे में कुछ भ्रम है। मैंने पिछली बार भी सदन में कहा था कि इन्होंने अपने नोटिस को जो एक्सप्लेन किया, उसमें लिखा है कि क्या डाकघर प्रोफिट कमाने की जगह है।

18.00 hrs.

मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। एक भी पोस्ट ऑफिस को इसलिए बंद नहीं किया गया है कि वह नफा नहीं देता। उन्हें इसलिए बंद कर रहे हैं कि हमारे यहां नॉर्म्स हैं। आम तौर पर रूरल एरियाज में पोस्ट ऑफिस भारत सरकार खोलती है, डाक विभाग खोलता है। हम 66 परसेंट से अधिक सबसिडी देते हैं। हिली और ट्राइबल एरियाज में जो पोस्ट ऑफिस खुलते हैं उनमें 85 परसेंट सबसिडी देते हैं, यानी अगर एक लाख रुपए खर्च किए गए हैं तो 85 हजार रुपए भारत सरकार सब्जिडाइज्ड करती है। नॉर्मल रूरल इलाके में एक लाख रुपए खर्च हुए हैं तो 66, 500 रुपए के आसपास भारत सरकार खर्च करती है।

MR. CHAIRMAN : Now, it is six o'clock. After the Minister's reply we will have to sit for some more time for 'zero hour'.

DR. SHAKEEL AHAMED: I will conclude in two-three minutes, Sir.

हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिसेज की सेवा अच्छी हो। मैं एक बात और बताना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने जो नोटिस दिया है, उसमें दो-तीन बिन्दु उठाए हैं। हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। पीएसएस का जहां निल ट्रांजैक्शन है, वहीं उनको बंद किया है। जो एग्रीमैंट साइन होता है, उसके मुताबिक वही पार्टी चाहे पंचायत या पोस्टल सुपरिटैंडेंट जो जिले का है, वह एक महीने का नोटिस देता है। अगर ट्रांजैक्शन निल है तो उसके रहने का क्या औचित्य है?

मैं हिली और ट्राइबल एरियाज के बारे में बताना चाहता हूं। देश में एक लाख 50 हजार से अधिक पोस्ट ऑफिसेज हैं। उनमें से नॉर्थ ईस्ट सर्किल में चार हिली एरियाज में उनको बंद किया गया है। उन्हें इसलिए बंद नहीं किया गया है कि वे इकोनॉमिकली वायबल नहीं थे या नफा नहीं कमा रहे थे। उन्हें नॉन- फंक्शनिंग की वजह से बंद किया गया। मिलिटैंसी की वजह से या दूसरी किसी वजह से बंद किया गया। उनका कोई फंक्शनिंग नहीं था। इसलिए उन्हें नॉर्थ ईस्ट में बंद किया गया। एक पोस्ट ऑफिस डैजर्ट एरिया हरियाणा में बंद किया गया है। वह इसलिए बंद किया गया कि वह डिस्टेंस का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता था और कोर्ट ने उस बिल्डिंग को खाली करने का ऑर्डर दिया था। कुल 1 लाख 55 हजार में से हिली एरियाज में पांच पोस्ट ऑफिसेज जो बंद किए गए, मैंने उनका रीजन देकर बताया है। भारत सरकार 85 परसेंट सबसिडी देती है। ...(व्यवधान) मैं जब अपनी बात कह दूं, तब आप प्रश्न पूछना। भारत सरकार 85 परसेंट सबसिडी देती है। हमारी पोस्ट ऑफिसेज को बंद करने की कोई मंशा नहीं है। ज्यादातर सदस्य जो ये सवाल उठा रहे हैं, वे एनडीए के ही अंग हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत : वास्तव में डाकघर बंद हुए हैं।

डा. शकील अहमदः यह आपकी सरकार के समय का फैसला है।

प्रो. रासा सिंह रावत : आपका और दयानन्द मारन जी का उत्तर आया है कि वे इकोनॉमिकली वायबल नहीं हैं। डाकघर के अधिकारी जान बूझ कर केस हार जाते हैं। वे कमजोर वकील करते हैं और केस हार जाते हैं। बिल्डिंग न देने पर उन्हें बंद करना पड़ता है।

डॉ. शकील अहमदः रासा सिंह रावत जी, मर्जर, रिलोकेशन, क्लोजर ये सारे फैसले आज हम को लेने पड़ रहे हैं। यह एनडीए सरकार के समय के फैसले हैं। सरकार एक कंटिन्युअस प्रोसैस है। 2002 से 2007 तक दसवीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। तब तक हम को वही करना है जो आप करके गए हैं। इस मामले में दिशा निर्देश बनाए गए हैं। यूपीए सरकार की कमिटमैंट है। हमारा आज भी देहात से लगाव है। निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा कि कम से कम पोस्ट ऑफिसेज बहुत ही मजबूरी हो, तब बंद किए जाएं। हम केवल नफा कमाने की बात नहीं देख रहे हैं। पिछले साल 1400 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। हम उसे कम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल 1100 से हजार करोड़ रुपए का घाटा होगा। उसे कम करने का प्रयास कर रहे हैं।

इसलिए निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से इस देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में और श्रीमती सोनिया गांधी के दिशा निर्देश में यू.पी.ए. सरकार डाक विभाग की सेवाएं इस देश के आम आदमी तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है और हम इसकी सारी सुविधाएं देंगे। एन.डी.ए. सरकार ने जो गलत काम किया था, जो गलत फैसला किया था, हमें जैसे मौका मिलेगा, उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे।

MR. CHAIRMAN : No questions, please.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, you need not answer. The time allotted for the discussion is over.

… (*Interruptions*)

18.06 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.

Twenty-fifth Report

MR. CHAIRMAN: Now, presentation of the Business Advisory Committee Report -- Shri Gangwar.

SHRI SANTOSH GANGWAR (BAREILLY): Sir, I beg to present the 25th Report of the Business Advisory Committee.

---

* Not Recorded.

MR. CHAIRMAN: Now, the House shall take up Special Mentions.

Shri Shailendra Kumar. Please be brief and to the point only.